

15.6.16

गह-पम्बली राजस्व लोक अदालत अधिधान  
 शिविर में पैग हुई। प्राथम कस्बई विधेधाना  
 पम्बली क कलेक्टर किय गम्भा जैरसायल  
 के विरुद्ध आदेश दि 20.11.15 के एक पक्षीय  
 कार्यवाही की जा चुकी है। जैरसायल  
 के वायज्ज रचना के उपर नही होने कारण  
 प्राथम कस्बई विधेधाना स्वीकार किता  
 जाता है। जैरसायल सायलान के हिस्से  
 की भूमि खण नं० 150, 151, 152, 153, 211, 314  
 315, 316, 317, 322, 323, 392, 393, 612, 613  
 616 कुल किता 17 ग्राम सिंधान ग्रीणा में दावा  
 के निर्माण होने तक बचावस्थिति बनोये रखें। किता  
 प्रका क मजादमत मद्रवलत नाके। पम्बली  
 फौसल सुभा होकर नम्बर 8 कस की जाकर वास  
 तकमील शामिल हमपिता दावा किता जावे।



उप जिला कलेक्टर  
 हिन्डीन सिटी, जिला करौली